

सम्पादकीय

सरकार की इच्छा शक्ति का ही परिणाम है राजस्थान की माइनिंग सेक्टर में लंबी छलांग

माइनिंग सेक्टर के महत्व को रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में अमेरिका की हालिया नीति के चलते आसानी से समझा जा सकता है। अमेरिका की यूक्रेन की खनिज संपदा पर नजर है और वह चाहता है कि यूक्रेन को सहयोग करने के बदले में यूक्रेन की खनिज संपदा के दोहन का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार अमेरिका को मिल जाए। यही हालात दुनिया के दूसरे देशों की हैं। आज चीन की मोनोपोली से सभी देश गले तक भर आये हैं वहीं दुनिया के देश खनिज संपदा के भण्डारों की खोज व खनन के विकल्प ढूंढने लगे हैं। यही कारण है कि पिछले एक दशक में मिनरल एक्सप्लोरेशन के कार्य में तेजी आई है। हमारे देश में सतत खनन विकास पर जोर दिया जाने लगा है और 2016-17 से मेजर हो या माइनर मिनरल सभी माइंस नीलाम करना अनिवार्य कर दिया गया है। बदली परिस्थितियों में यह भी साफ हो जाना चाहिए कि सरकारों की ईच्छा शक्ति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसका ताजातरीन उदाहरण राजस्थान सरकार और राजस्थान का खान एवं भूविज्ञान मंत्रालय है। देश-दुनिया में अवैध खनन गतिविधियों के लिए कुख्यात माइनिंग सेक्टर को नई पहचान देने के कारगर प्रयास राजस्थान में भजन लाल शर्मा सरकार ने कर के दिखाया है। केवल एक साल की समयावधि में ही माइनिंग सेक्टर में राजस्थान समूचे देश में लंबी छलांग लगाने लगा है। दिसंबर, 24 में सरकार ने कार्यभार संभालते ही माइनिंग सेक्टर में दो दिशाओं में तेजी से कदम बढ़ाये। पहला अवैध खनन गतिविधियों पर कारगर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया तो दूसरी ओर सरकार ने साफ संदेश दे दिया कि खनिज बहुल क्षेत्रों की एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट का अध्ययन करते हुए डेलिनियेशन और प्लॉट व ब्लॉक तैयार करने के कार्य को प्राथमिकता दी जाए और विभाग इन तैयार प्लॉटों व ब्लॉकों की नीलामी का रोडमैप बनाकर पारदर्शी ऑक्शन प्रक्रिया को अमली जामा पहुंचाये। सरकार की मंशा के अनुसार विभागीय अमला भी जुट गया और नई सरकार बनने के तीन माह में ही 15 मेजर मिनरल ब्लॉकों का भारत सरकार के पोर्टल पर ई-नीलामी की गई तो एक साल से कुछ ही अधिक समय में नई सरकार बनने के बाद के जनवरी, 25 तक 15 ब्लॉकों सहित 15 जोड़ 33 ब्लॉक कुल 48 मेजर मिनरल ब्लॉकों की सफल नीलामी कर नया इतिहास रच दिया गया।

कैसे रुके सिवरेज की सफाई में होने वाली मौत?

अशोक मधुप

कोलकाता शहर में सिवरेज की सफाई के दौरान तीन श्रमिकों की मौत हो गई। घटना कोलकाता लेदर कॉम्प्लेस में सीवरेज लाइन के साफ के दौरान हुई। सुप्रीम कोर्ट काफी पहले कह चुका है कि मरने वालों के परिवार को तीस-तीस लाख रूपया मुआवजा दिया जाए, किंतु ऐसा नहीं हो रहा। प्रदेश सरकार ने बीस-बीस लाख रूपये मुआवजा देकर ही मामला निपटा दिया। यह घटना सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के चार दिन बाद हुई है, जिस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली, मुंबई, कलकाता, चिन्नई, बंगलूरू और हैदराबाद जैसे मेट्रोपालिटिन शहरों में मैनुअल सफाई और सीवर सफाई पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया था।



दरअसल न्यायालय आदेश करता है किंतु उन आदेश के पालन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को या तो ये आदेश पहुंच नहीं पाता। आदेश पहुंच पाता है तो फाइलों के दबाव में वे उसे पढ़ नहीं पाते। इसीलिए बार-बार आदेशों के पालन में अनदेखी होती है। इन आदेशों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने की प्रदश स्तर पर त्वरित और प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए। जुलाई 2022 में लोकसभा में प्रस्तुत सरकारी आंकड़ों के अनुसार पांच साल में सीवर सफाई के दौरान 347 लोगों की मौत हुई। पांच सालों में भारत में सीवर और सेंट्रिक टैंक की सफाई के दौरान कम से कम 347 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 40 प्रतिशत मौतें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली में हुईं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, 1993 के बाद से सीवर और सेंट्रिक टैंक से होने वाली मौतों के 1,248 मामलों में से इस साल मार्च तक 1,116 मामलों में मुआवजे का भुगतान किया गया है, हालांकि, 81 मामलों में मुआवजे का भुगतान अभी भी लंबित है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि राज्यों द्वारा 51 मामलों बंद कर दिए गए हैं क्योंकि मृत व्यक्तियों के कानूनी उत्तराधिकारी नहीं मिल सके। 1993 के बाद के आंकड़ों से पता चलता है कि कि सीवर और सेंट्रिक टैंक में होने वाली मौतों के सबसे अधिक 256 मामले

तमिलनाडु में सामने आए। इसके बाद गुजरात (204), उत्तर प्रदेश (131), हरियाणा (115) और दिल्ली (112) का नंबर आता है। सीवर से होने वाली मौतों के सबसे कम मामले छत्तीसगढ़ (1) में दर्ज किए गए हैं, इसके बाद त्रिपुरा और ओडिशा में 2-2 मामले, दादर और नगर हवेली (3) और झारखंड (4) आते हैं। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक के 58 मामलों में से सबसे ज्यादा मामले तमिलनाडु (11) से हैं, इसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान (11-11 मामले), और गुजरात (8) तथा पंजाब (6) का नंबर आता है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि 1993 के बाद से हुई 1,247 मौतों में से 456 मामले 2018 के बाद दर्ज किए गए हैं। नौ अक्टूबर 2024 को दिल्ली के सरोजिनी नगर इलाके में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर तीन मजदूरों की मौत का मामला सामने आया है। ये मजदूर सीवर लाइन साफ करने के लिए सीवर के अंदर उतरे थे। सीवर लाइन से निकल रही जहरीली गैस की बवह से तीनों मजदूरों का दम घुट गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीवर में उतरे मजदूरों के लिए सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। 23 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के सीकर जिले में सफाई के दौरान तीन कर्मचारियों की मौत हो गई। ये मौत लगातार होती रहती है। रुक नहीं पाती। देश में सीवर सफाई के दौरान होने वाली मौत की

घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 20 अक्टूबर 2023 को कहा था कि सरकारी अधिकारियों को मरने वालों के परिजन को 30 लाख रूपये मुआवजा देना होगा। सीवर की सफाई के दौरान कोई सफाईकर्मी स्थायी दिव्यांगता का शिकार होता है तो न्यूनतम मुआवजे के रूप में उसे 20 लाख रूपये दिया जाएगा। वहीं, अन्य दिव्यांगता पर अफसर उसे 10 लाख रूपये तक का भुगतान करेंगे। जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने सीवर सफाई के दौरान होने वाली मौतों को लेकर दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा पूरी तरह खत्म हो। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट्स को सीवर से होने वाली मौतों से संबंधित मामलों की निगरानी करने से ना रोके जाने का निर्देश दिया।

सरकार और अधिकारी प्रायः मानते हैं कि न्यायालय आदेश करता रहता है। वह करें। उन्हें काम अपनी मर्जी से करना है। इसी कारण सिवरेज की सफाई में लगे कर्मचारियों को कार्य के दौरान न सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं, न मौत होने पर मुआवजा दिया जाता है। पीड़ित के परिवार वाले न ज्यादा शिक्षित होते हैं, न संपन्न। उन्हें न्यायालय के आदेश की जानकारी ही नहीं होती। इतना धन भी नहीं होता कि वह न्यायालय की शरण में जाएं। इसका फायदा विभागीय अधिकारी उठाते हैं। वह अपनी मनमर्जी करते हैं। ऐसा प्रायः सभी जगह होता है। सिवरेज की सफाई में लगे कर्मचारियों की मौत की घटनाएं रोकने के लिए, उन्हें मैनुअल सिवरेज की सफाई के आदेश देने वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराने से ही मौत रुकेगी, अन्यथा नहीं।

प्रदेश सरकारों को चाहिए कि वह एक ऐसा सेल बनाए, जो इस तरह की मौत की मॉनिटरिंग करें। उनकी मौत के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी अमल में लाए। एक बात और राज्य स्तर पर बनाये सैल न्यायालयों के आदेश नगर पालिका, नगर निगम आदि में भेजने की भी तुरंत व्यवस्था हो। बताए कि यह आदेश हुआ है। सिवरेज की सफाई करते इन नियमों का पालन करें। ये सैल ये भी मॉनिटरिंग करें कि नगर निगम या नगर पालिका के पास सिवरेज की सफाई के समय प्रयोग होने वाले उपकरण हैं या नहीं। क्या उनके कर्मचारी सफाई करते सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करते हैं या नहीं। जहां प्रयोग नहीं करते वहां कर्मचारियों को जागरूक किया जाए। उनके इन सुरक्षा उपकरणों के प्रयोग के लाभ बताए जाएं। उन्हें कहा जाए कि सिवरेज में उतरने से पहले सुरक्षा उपकरण पहनने से उनकी जान बच सकती है। देखने में आया है कि प्रायः स्थानीय निकाय के के पास सुरक्षा उपकरण नहीं हैं। उन्हें दबाव देकर ये उपकरण खरीदवाए जाएं। कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण पहनने की प्रशिक्षण दिया जाए।

धोखेबाजों पर कब कार्यवाही करेगी भारत सरकार

अमेरिका और यूरोप के अन्य देशों में लाखों भारतीय अवैध रूप से रहे रहें हैं। यह सभी भारतीय जहां रहे हैं। वहां पर भारतीय दूतावास भी हैं। अवैध दस्तावेजों के सहारे भारतीयों को विदेश में ले जाने के लिए एजेंट फर्जी दस्तावेज तैयार करते हैं। विदेश में रोजगार और नौकरी के लिए जाने वालों से 25 से 50 लाख की वसूली करते हैं। उसके बाद एक देश से दूसरे देश में ले जाकर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा इत्यादि देशों में ले जाकर छोड़ देते हैं। लाखों रूपये गवाने के बाद भारतीय मूल के नागरिक विदेशों में नाराकीय जीवन जी रहे हैं। भारतीय दूतावास उनकी कोई मदद नहीं करते हैं। भारत के एजेंट गलत दस्तावेजों पर प्रतिवर्ष लाखों लोगों को विदेश भेजते हैं। उन पर भारत सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है। भारत में धोखाधड़ी का यह धंधा बढ़ता ही जा रहा है। जांच एजेंसियां हाथ में चूड़ी डालकर बैठी हुई हैं। लाखों परिवारों का जीवन हर साल भारत में बर्बाद हो रहा है।

वोट बैंक के कारण भारी पड़ रहे हैं तुगलकी पंचायती फैसले

योगेंद्र योगी

देश को अंग्रेजों से आजाद हुए 77 साल हो गए लेकिन कानून का राज अभी तक पूरी तरह कायम नहीं हो सका। राजनीतिक दलों के वोट बैंक के कारण जातिगत पंचायतें अभी भी कानून से इतर तुगलकी फरमान दे रही हैं। इन फरमानों के आगे शासन-प्रशासन बौने साबित हो रहे हैं। राजस्थान के करौली जिले में मीणा महासभा की महापंचायत ने लड़की पक्ष द्वारा विवाह से इंकार किए जाने पर ऐसा ही एक फरमान जारी कर दिया और प्रशासन मूक-बधिर बने खड़ा रहा। महापंचायत द्वारा गठित कमेटी ने रौंसी गांव के लड़की पक्ष के लोगों पर 11 लाख रूपये, रिश्ता तय करने में मध्यस्थ रहे दो जनों पर एक-एक लाख रूपये का दंड लगाया गया। साथ ही रौंसी गांव में लड़के पक्ष पर लगाए 11 लाख के दंड को महापंचायत ने खारिज दिया। साथ ही फैसला देने वाले रौंसी क्षेत्र के 5 लोगों को 1100-1100 रूपये से दंडित कर 5 साल के लिए समाज की जाजम से बाहर करने की बात कही। जिन जनप्रतिनिधियों का काम कानून का शासन स्थापित करना होता, वही कानून की धज्जियां उड़ाने वाले ऐसे आदिम फैसलों के समर्थन में खड़े नजर आए। इस महापंचायत में टोडाभीम विधायक घनश्याम महर भी पहुंचे। आश्रय की बात यह है कि शांति व्यवस्था व महापंचायत पर नजर बनाए रखने के नाम पर 50-60 पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, किन्तु कोई कार्रवाई नहीं कर सके। महापंचायत की मनमाने निर्णय पर सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस ने कोई एतराज नहीं जताया। मानवाधिकार आयोग को भी अधिकारों के हनन करने वाले ऐसे निर्णय नजर

नहीं आते। राजस्थान ही नहीं देश के दूसरे हिस्सों में भी जातिगत पंचायतें ऐसे फैसले सुनाती रही हैं। खाप पंचायतें अपने परंपरावादी फैसलों के लिए मशहूर रही हैं। मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में खाप महापंचायत ने साल 2014 में फरमान जारी कर लड़कियों के जींस पहनने, उनके फोन और इंटरनेट यूज करने पर बैन लगाया गया था। कुछ लड़कियों के घर से भागने के बाद समाधान के रूप में यह ऐलान किया गया था। ऐसा केवल यूपी में ही नहीं हरियाणा जैसे राज्यों में भी बैन लगाया गया था। साल 2015 में बागपत में एक खाप पंचायत ने दो बहनों के साथ रेप करने और उन्हें निर्वस्त्र करके गांव में घुमाने का आदेश जारी किया था। उन्हें उनके भाई के अपराध की सजा दी गई। उनका भाई एक ऊंची जाति की महिला के साथ भाग गया था। जुलाई 2010 में हरियाणा की सर्व खाप जाट पंचायत ने फरमान जारी किया कि लड़कियों की शादी के लिए उनके बालिंग होने का इंतजार नहीं करना है। उनकी शादी अब 15 साल में ही कर देनी है। रेप की घटनाओं में हो रही बहोरिरी पर अंकुश लगाने के लिए यह आदेश जारी किया गया था। ऑनर किलिंग, समगोत्रिय विवाह और प्रेम विवाह को लेकर खाप पंचायत बेटुका बयान जारी करते रही हैं। खाप पंचायत को सुप्रीम कोर्ट को फटकार का ख्याल है और ना ही आलोचनाओं का, तभी तो उसके बेटुके फैसले तालिबानी और तुगलकी फरमान की तरह लोगों के सिर पर पहाड़ बन कर टूटते हैं। झज्जर की खाप पंचायत का मानना था कि आर्य समाजी ढंग से होने वाली शादियों पर तत्काल से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। खाप ने यह बेटुका फरमान लव मैरज को रोकने के लिए



सुनाया था। खाप पंचायत प्रेम विवाह के खिलाफ है। खाप ने आर्य समाज में होने वाली शादियों को दुकानदारी करार दिया था। खाप और जातिगत पंचायतों के इस तरह के बेबुनियाद तर्क बदस्तूर जारी हैं। एक खाप ने कहा था कि बलात्कार और यौन शोषण जैसी घटनाओं को रोकने के लिए लड़कियों का बाल विवाह कर

देना चाहिए ताकि वो जवान होने से पहले ही किसी की पत्नी बन जाये और पुरुष उनकी और आकर्षित ना हो। महाराष्ट्र के बीड में एक महिला और उसके परिवार के सामाजिक बहिष्कार का आदेश देने पर जाति पंचायत के 9 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। महिला का सामाजिक बहिष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि

उसके समुने ने उस महिला से शादी की थी, जिससे वह प्यार करता था। राजस्थान के चाकसू कस्बे में आपसी सहमति से 2022 में तलाक लेने की जानकारी समाज के अन्य लोगों को लगी तो उन्होंने जातीय पंचायत बैठाकर तलाक लेने के लिए प्रताड़ित किया और 1,51,000 रूपये आर्थिक दंड के रूप में देने का फैसला सुनाया। झारखंड एंसी पंचायतों के फैसलों के लिए बदनाम रहा है। पलामू गढवा और लातेहार में 65 से अधिक पंचायतों पर एफआईआर दर्ज हुई। कई ऐसे भी मामले हैं जिन पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, शिकायतकर्ता सामने नहीं आए हैं। झारखंड में पंचायत के फैसले के बाद 36 से अधिक लोगों की मौतें हुईं। 40 से अधिक दुष्कर्म के मामले में पंचायत बैठी है, जिनमें आरोपियों को बचाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर किलिंग मामले की सुनवाई करते हुए खाप पंचायत पर बड़ा फैसला सुनाया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि खाप पंचायत का किसी भी शादी पर रोक लगाना अवैध है। अदालत ने कहा था कि अगर कोई भी संगठन शादी को रोकने की कोशिश करता है, तो वह पूरी तरह से गैर कानूनी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों की रोकथाम और सजा के लिए गाइडलाइन जारी की। इसके बावजूद देश के किसी न किसी कोने से पंचायतों के मनमाने निर्णय सामने आते रहते हैं। राजनीतिक दल जातिगत पंचायतों के ऐसे फैसले रोकने के बजाए इनमें वोट बैंक के हित ढूँढती नजर आती हैं। यह निश्चित है जब तक राजनीतिक दल वोट बैंक का राजनीति से ऊपर उठकर कानून का शासन करने पर एकराय नहीं होंगे, तब तक ऐसे गैरकानूनी पंचायती फैसले आते रहेंगे।

